न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2018/00059 दायरा दिनांक : 26.02.2018

उनवान

कजोडी बाई पुत्री जगन्नाथ जोजे रामगोपाल, जाति मीणा, निवासी मांगटा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
.... अपीलांट

बनाम

1– रंगलाल पुत्र रोडू, जाति मीणा, निवासी मांगटा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड, मृतक कायम मुकामान –
1/1– भोजराज पुत्र रंगलाल
1/2– अनिल पुत्र रंगलाल (नाम डिलीट आज्ञा दिनांकः 06–02–2024)
1/3– कल्याणी पत्नी रंगलाल
अकवाम जाति मीणा, निवासी मांगटा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
1/4– कान्ही बाई पुत्री रंगलाल जोजे दिनेश, जाति मीणा, निवासी ग्राम सेजरी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
1/5– सैनी बाई आयु 15 वर्ष पुत्री रंगलाल (नाबालिग) जरिये माता कल्याणी
1/6– सल्लू बाई पुत्री रंगलाल जोजे माणक चन्द, निवासी केवंचीकलां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
2– गंगाराम पुत्र रोडू, जाति मीणा
3– डालचन्द पुत्र रोडू, जाति मीणा
अकवाम निवासीगण ग्राम मांगटा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
4– चन्द्रकला पुत्री रोडू जोजे छीतर, जाति मीणा, निवासी खेलखेडी, तहसील छीपाबडोद, जिला बांरा
5– राजू बाई पुत्री रोडू बेवा रामेश्वर, जाति मीणा, निवासी राई, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
6– शिवराज आयु 11 वर्ष नाबालिग पुत्र घनश्याम
7– लोकेश आयु 9 वर्ष नाबालिग पुत्र घनश्याम
8– अंजली बाई आयु 16 वर्ष नाबालिग पुत्री घनश्याम
जरिये वली संरक्षक घनश्याम वल्द जमनालाल, जाति मीणा, निवासी मांगटा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
9– घनश्याम पुत्र जमनालाल, जाति मीणा, निवासी मांगटा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
10– शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. हाल एस.बी.आई. बैंक शाखा अकलेरा राजस्थान
11– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान
12– भरोसी बाई पत्नी जगदीश, जाति मीणा, निवासी मांगटा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान
13– बनवारी लाल पुत्र सोभाग, जाति मीणा, निवासी मांगटा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : **21.05.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 97/दावा/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम मांगटा, तहसील अकलेरा के माल की नई खतौनी संख्या 47 की खसरा नम्बरान कमशः 178 की 0.14 बीघा, खसरा नम्बर 179 की 0.15 बीघा, खसरा नम्बर 189 की 0.04 बीघा, खसरा नम्बर 239 की 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 240 की 0.04 बीघा, खसरा नम्बर 241 की 3.04 बीघा, खसरा नम्बर 242 की 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 243 की 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 245 की 10.12 बीघा, खसरा नम्बर 262 की 8.05 बीघा, खसरा नम्बर 264 की 8.06 बीघा कुल जुम्ला 11 किता की 32.12 बीघा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय एवं डिकी दिनांक 18.12.2017 से वादी का वाद आंशिक डिकी किया

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जाकर ग्राम मांगटा, तहसील अकलेरा के माल की खाता सं0 47 की 11 किता की 32.12 बीघा आराजी में से प्रतिवादीगण 1 ता 5 के हिस्से की 1/2 भाग अर्थात 16.06 बीघा, शेष 1/2 भाग आराजी में से ख0 नं0 241 की 1.12 बीघा व ख0 नं0 262 की 4.03 बीघा कुल 2 किता की 5.18 बीघा आराजी में से तथाकथित वसीयत के आधार पर 1/3 भाग आराजी एवं स्वयं के हिस्से की 1/3 भाग अर्थात दोनों खसरा नम्बरान में वादिनी को 2/3 भाग व प्रतिवादी 6 ता 9 को 1/3 भाग का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष मृतक जगन्नाथ के हिस्से की आराजी में से वादिनी को 1/2 व प्रतिवादी 6 ता 9 को 1/2 भाग आराजी पृथक पृथक खाते दर्ज करने हेतु तहसीलदार अकलेरा को राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार आराजी का विभाजन पत्र तैयार कर पेश करें। वादी फाइनल डिक्री हेतु नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश करें। वाद का खर्चा वादी स्वयं वहन करेंगे। बैंक रहन यथावत रहेगा। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का वाद आंशिक रूप से डिक्री करने में त्रुटि की है जबकि पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं साक्ष्य से पूर्णतया अपीलान्ट का दावा पूर्ण रूप से डिक्री होने योग्य था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य एवं दस्तावेज पर उचित गौर नहीं फरमाया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 241 की 3 बीघा 4 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा यानि 1 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 262 की 8 बीघा 5 बिस्वा सम्पूर्ण कुल 9 बीघा 17 बिस्वा आराजी वादनी के पिता जगन्नाथ के कब्जे काश्त की थी जो वादनी को जर्ये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 02.03.1974 को दी गयी थी। इसलिये वाद अपीलान्ट वादनी उक्त दान की गयी आराजी को अपने खाते दर्ज कराने की अधिकारिणी थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस दानपत्र की आराजी को गलत मानने में त्रुटि की है। दावे की मद नम्बर 1 में वर्णित 25 बीघा 12 बिस्वा आराजी में अपीलान्ट को दान की गयी आराजी के अलावा शेष आराजी पर वादनी एवं प्रतिवादीगण 6 लगायत 9 को 1/2 हिस्से की आराजी का खातेदार घोषित करना चाहिये था एवं शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के पृथक खाते दर्ज करना चाहिये था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अन्दाज किया है और जो निर्णय पारित किया है वह अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के मामले में जो तनकीयात कायम की है उनका निर्णय, रिकार्ड व साक्ष्य का उचित अवलोकन नहीं कर किया है, जो अवैधानिक है। मुताबिक रिकार्ड व साक्ष्य अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्ण रूप से डिक्री होने योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने दान पत्र के बारे में कानूनी प्रावधानों के विपरीत अपनी फाईण्डिग दी है, जो अवैधानिक है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.12.2017 निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट का वाद दावे की रिलीफ के अनुसार पूर्ण रूप से डिक्री किया जावे अर्थात दावे में वर्णित 32 बीघा 12 बिस्वा आराजी में खसरा नम्बर 262 की 8 बीघा 5 बिस्वा सम्पूर्ण एवं खसरा नम्बर 241 की 1 बीघा 12 बिस्वा कुल 9 बीघा 17 बिस्वा आराजी का अपीलान्ट को पृथक खातेदार घोषित कर शेष बची आराजी में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट 6 लगायत 9 का 1/2 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 5 का 1/2 हिस्सा पृथक खाते दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र आर्डर 1 नियम 10 एवं धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर बेचान के आधार पर पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जो न्यायहित में स्वीकार किया गया।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

बहस एकपक्षीय अभिभाषक अपीलांट की सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक के अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि अपीलांट को उसके पिता जगन्नाथ द्वारा दिनांक 02.03.1974 के दानपत्र के अनुसार दी गई आराजी का खातेदार घोषित किया जाये तथा पिता की शेष आराजी का हिस्सेनुसार बंटवारा किया जावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय किया गया है। एक्जीविट पी. 1 तथा एक्जीविट पी. 4 पर वर्णित जमाबंदियों के अवलोकन से आराजी पुश्तैनी शामलाती होना साबित होता है। क्योंकि आराजी स्वर्जित नहीं होने से जगन्नाथ को अपने हिस्से की आराजी तक ही दान करने का अधिकार था। अतः अपीलांट का यह कथन कि दान पत्र में वर्णित आराजी अपीलांट – वादिनी के नाम दर्ज करने के पश्चात शेष आराजी का विभाजन किया जाये, उचित प्रतीत नहीं होता है।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित तलवी, साक्ष्य व तनकीयात कायम कर विधि अनुसार निर्णय पारित किया है। अतः हम इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

कजोडी बाई पुत्री जगन्नाथ जोजे रामगोपाल, जाति मीणा, निवासी मांगटा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

....

अपीलान्ट्स

बनाम

1– रंगलाल पुत्र रोडू, जाति मीणा, निवासी मांगटा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड, मृतक कायम मुकामान –

1/1– भोजराज पुत्र रंगलाल

1/2– अनिल पुत्र रंगलाल (नाम डिलीट आज्ञा दिनांकः 06–02–2024)

1/3– कल्याणी पत्नी रंगलाल

अकवाम जाति मीणा, निवासी मांगटा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

1/4– कान्ही बाई पुत्री रंगलाल जोजे दिनेश, जाति मीणा, निवासी ग्राम सेजरी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

1/5– सैनी बाई आयु 15 वर्ष पुत्री रंगलाल (नाबालिग) जरिये माता कल्याणी

1/6– सल्लू बाई पुत्री रंगलाल जोजे माणक चन्द, निवासी केवंचीकलां, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

2– गंगाराम पुत्र रोडू, जाति मीणा

3– डालचन्द पुत्र रोडू, जाति मीणा

अकवाम निवासीगण ग्राम मांगटा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

4– चन्द्रकला पुत्री रोडू जोजे छीतर, जाति मीणा, निवासी खेलखेडी, तहसील छीपाबडोद, जिला बांरा

5– राजू बाई पुत्री रोडू बेवा रामेश्वर, जाति मीणा, निवासी राई, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

6– शिवराज आयु 11 वर्ष नाबालिग पुत्र घनश्याम

7– लोकेश आयु 9 वर्ष नाबालिग पुत्र घनश्याम

8– अंजली बाई आयु 16 वर्ष नाबालिग पुत्री घनश्याम

जरिये वली संरक्षक घनश्याम वल्द जमनालाल, जाति मीणा, निवासी मांगटा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

9– घनश्याम पुत्र जमनालाल, जाति मीणा, निवासी मांगटा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

10– शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. हाल एस.बी.आई. बैंक शाखा अकलेरा राजस्थान

11– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान

12– भरोसी बाई पत्नी जगदीश, जाति मीणा, निवासी मांगटा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान

13– बनवारी लाल पुत्र सोभाग, जाति मीणा, निवासी मांगटा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. 2018/00059 एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा**

मु.द.नं0 97/दावा/2012 निर्णय व फाईनल डिक्री दिनांक – **18.12.2017**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **06** माह **05** सन् **2024**

हाजरी **श्री सी0 पी0 खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से एवं अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2017 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **21** माह **05** सन् **2024** को जारी किया गया ।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)